Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ बीकानेर में वाणिज्य कर विभाग का टैक्स असिस्टेंट 50,000/– रुपये रिश्वत लेने के संबध में गिरफ्तार।

जयपुर, 15 दिसम्बर, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बीकानेर एसयू इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **पुरूषोतम जोशी हाल टैक्स असिस्टेंट वाणिज्य कर विभाग बीकानेर** को **50,000/– रुपये** रिश्वत राशि लेने के संबध में गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बीकानेर एसयू को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के रिकवरी नोटिस के सैटलमेन्ट के एवज में आरोपी पुरुषोतम जोशी टैक्स असिस्टेन्ट द्वारा 50,000/–रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बीकानेर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री भुवन भुषण यादव** के सुपरविजन में ए.सी.बी. चौकी बीकानेर एसयू के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आशीष कुमार** एवं टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी पुरूषोतम जोशी हाल टैक्स असिस्टेंट वाणिज्य कर विभाग बीकानेर को 50,000/– रूपये की रिश्वत राशि लेने के संबंध में गिरफ्तार किया गया है आरोपी पुरूषोतम द्वारा रिश्वती राशि सहकर्मी कालीचरण जोशी वरिष्ठ सहायक को देना बताया है जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।